न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री सेवाराम स्वामी, RAS

अपील संख्या :- 321/2011

1. धीसालाल
2. लक्ष्मीनारायण

पुत्रान किशनलाल जाति कुम्हार निवासी ईंटोलाव तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

— अपीलान्ट

बनाम

माफी मन्दिर श्री शाकम्भरी माताजी विराजमान मूर्ति माँ शाकम्भरी ग्राम कोरसीना जरिये तथाकथित पुजारी श्री यतेन्द्र स्वरूप पुत्र श्री जानकीलाल जाति ब्राह्मण निवासी शाकम्भरी मन्दिर कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

— रेस्पोन्डेन्ट

उपस्थित अधिवक्तागण :-

(1) श्री हनुमान चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट

(2) श्री अशोक उपाध्याय, अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट

— निर्णय — दिनांक :- 31/10/2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी साँभरलेक द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/7/2011 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

संक्षिप्त तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कोरसीना तहसील फुलेरा मे शाकम्भरी माताजी का प्राचीन मन्दिर स्थित है जिसमे माँ शाकम्भरी की मूर्ति विराजमान है जो चीर अल्पव्यस्क है तथा वादी उसका पुजारी है। राजस्थान के देवस्थान विभाग के

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

द्वारा उसे मन्दिर की सेवा पूजा, राजभोग के लिये पुजारी नियुक्त कर रखा है। वादी ही उक्त मन्दिर की एवं मन्दिर मे निहित तमाम् सम्पत्तियो की सार-सम्भाल करता है एवं मन्दिर की काश्त की जमीनो की काश्त व सम्भाल करता है तथा उपज को मन्दिर के राजभोग मे खर्च करता है। वादी को मन्दिर की ओर से वाद पेश करने का अधिकार है। वादी ने वाद माफी मन्दिर के हित मे पेश किया है जिसकी इजाजत अलग से न्यायालय से प्राप्त कर ली है। आगे प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 1025 रकबा 4 बिस्वा, ख.न. 1026 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, ख.न. 1027 रकबा 3 बिस्वा, ख.न. 1396 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, ख.न 1397 रकबा 7 बिस्वा, ख.न. 1400 रकबा 16 बिस्वा, ख.न 1401 रकबा 2 बिस्वा, ख.न 1402 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, ख.न. 1403 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 6 बीघा वाके ग्राम तेजा का बास तहसील फुलेरा स्थित है, जिसकी खातेदारी माफी मन्दिर श्री शाकम्भरी माताजी के नाम दर्ज है तथा कब्जा भी वादी का ही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध नही है। माफी मन्दिर की भूमि में किसी भी व्यक्ति को कृषक या उपकृषक के रूप मे कोई भी अधिकार प्राप्त नही होते है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की नियत मे फितूर आ गया है तथा वह माफी मन्दिर की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर वादी को बेदखल करना चाहते है। वादी को उसके खातेदारी अधिकारो से वंचित करना चाहते है। वादी को काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते है। अत: अनुतोष चाहा कि प्रश्नगत आराजी पर वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादी को दखल न करने हेतु पाबन्द किया जावे। उक्त आराजी पर जबरन कब्जा न करे, न ही उक्त भूमि मे वादी को काश्त करने से रोके, न ही उक्त भूमि से प्राकृतिक पैदावार लूम पातड़ी, पेड़ आदि काटे। अप्रार्थी/अपीलांट की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब एवं काउन्टर क्लेम

राजस्व अपील प्राधिकारी

प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बहस पक्षकारान सुनी जाकर आदेश जेर अपील के तहत पूर्व मे दिनांक 14/7/2010 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा कन्फर्म कर दी गई, जिसके विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई है। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समाप्त की गई।

अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी ख.न. 1400 रकबा 16 बिस्वा, 1401 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकीन झेरा, ख.न. 1402 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, ख.न. 1403 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकीन झेरा कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा पूर्व कस्बा सांभर तहसील फुलेरा मे था तथा वर्तमान मे राजस्व ग्राम तेजा का बास, पटवार हल्का कस्बा सांभर मे स्थित है जो अपीलांट के बुर्जुगो के समय बरवक्त जागीर के समय से पूर्व मे कब्जे काश्त एवं खातेदारी की रही है, जिसमे रेस्पोंडेन्ट सख्या 1 का आज तक कोई सम्बन्ध सरोकार नही रहा है। चूंकी आराजी खसरा नम्बर 1400 एवं 1401 प्रथम सेटलमेन्ट सम्वंत 2011 मे पर्चा माफी मन्दिर श्रीमाताजी शाकरी पुजारी तुलसीराम पुत्र बिहारीलाल कौम ब्राह्मण राहिन गोविन्दराम महाजन निवासी देह तथा नाम कृषक खातेदार किशना पुत्र भैरू कुम्हार यानि की जागीर के जमाने से अपीलांट के पिता उक्त भूमि पर कब्जे काश्त एवं खातेदारी मे रहा। इसी प्रकार ख.न. 1402 व 1403 का प्रथम सेटलमेन्ट द्वारा पर्चा जारी किया गया, जिसमे माफी माताजी पुजारी तुलसीराम पुत्र बिहारीलाल जाति ब्राह्मण साकिन देह राहिन राम साहब श्रीनारायण पुत्र गणेश जाति महाजन मूर्तहिन साकिन देह नाम कृषक खातेदार किशना पुत्र भैरू कुम्हार मुद्दत 5 साल रही है। इस प्रकार जागीर के जमाने के पूर्व से ही प्रश्नगत आराजी अपीलांट के पिता एवं उनके फौत होने के पश्चात अपीलांट उक्त आराजी पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। इस सम्बन्ध मे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी। अपीलांट द्वारा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन भी कराया गया। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस मे

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

यह भी निवेदन किया कि जागीर एक्ट की धारा 9 के अनुसार काबिज कृषक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात खातेदार हुये किन्तु भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 मे वादी/रेस्पोडेन्ट को प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध मे खातेदार दर्ज कर दिया गया जो गलत इन्द्राज है जबकी प्रश्नगत आराजी पर अपीलोटस काबिज है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/7/2011 जिसके द्वारा प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में अपीलोटस को पाबन्द किया गया है, निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस के समर्थन मे 1965 RRD पृष्ठ 120, 2006 DNJ पृष्ठ 423 उद्दरित की।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के प्रारम्भ मे निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद माफी मन्दिर शाकम्भरी माता की ओर से प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध मे रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज है एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाने का अधिकार रिकॉर्डेड खातेदार मे निहित है। जहाँ तक प्रश्नगत आराजी पर अपीलोटस द्वारा जागीर के जमाने से काबिज काश्त होना क्लेम किया जा रहा है, का निर्णय वाद मे साक्ष्य सबूत के आधार पर होना है, वर्तमान मे प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध मे रिकॉर्डेड खातेदार है एवं मन्दिर माताजी श्री शाकम्भरी एक शास्वत नाबालिग है, जिसके अधिकारो को सुरक्षित रखना न्यायालय के लिये आवश्यक है। अतः अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने मे कोई त्रुटी नही की है। अतः अपील अपीलोटस खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो का मनन किया। यह तथ्य अपीलार्थी द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि वर्तमान मे प्रश्नगत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

आराजी के सम्बन्ध मे राजस्व रिकार्ड रेस्पोडेन्ट मन्दिर श्री शाकम्भरी माता के नाम है। उक्त राजस्व रिकार्ड मे यदी कोई परिवर्तन अपीलांटस से हटकर रेस्पोडेन्ट के नाम आया है तो इस बिन्दु का निस्तारण वाद मे साक्ष्य, सबूत के आधार पर ही होगा किन्तु प्रथमदृष्टया प्रकरण के बिन्दु पर वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड प्रार्थी। रेस्पोडेन्ट के हक मे होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त चुंकी राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी। रेस्पोडेन्ट के नाम का इन्द्राज होने से एवं प्रार्थी। रेस्पोडेन्ट के शास्वत अध्यहक होने से उसके हितों का संरक्षण किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र 212 के विरुद्ध प्रस्तुत इस अपील के स्तर पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचीत होने से यथावत रखा जाता है फलस्वरुप अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/10/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर